

## मंत्री उईके और सांसद कुलस्ते ने दयोदय पशु सेवा सदन में गौवंशों को लड्डू प्रारसन कराया

मण्डला, देशबन्धु। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिता उईके और सांसद फगन सिंह कुलस्ते के द्वारा गौ रक्षा वर्ष 2024-25 के तहत शनिवार को दयोदय पशु सेवा सदन आमनाला में आयोजित जिला स्तरीय गौवर्धन पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर अहिर नृत्य कर उनका स्वागत किया गया।



कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती संपतिता उईके, सांसद फगन सिंह कुलस्ते और कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने गौवंशों को अपने हाथ से लड्डू और प्रसाद खिलाये। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगरपालिका मंडला अध्यक्ष विनोद कछवाहा,

नगरपालिका मंडला उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा, जिला पंचायत सदस्य व सभापति (संचार एवं संकर्म) शैलेश मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, कलेक्टर सोमेश मिश्रा,

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर जेपी यादव सहित जिला एवं जनपद स्तरीय

अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी और पत्रकारगण मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती संपतिता उईके और सांसद फगन सिंह कुलस्ते ने गौसेवक दिलीप चंद्रौल, रेणु कछवाहा, हीरालाल रैदास, पशुपालक रामनारायण बर्वे, पशु चिकित्सक डॉ. पीके जोशी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

आयोजित कार्यक्रम में मंत्री और सांसद को स्मृति चिह्न भेंट किए गए। इस अवसर पर कृष्ण और राधानारी बने बाल कलाकारों का अभिनंदन किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पौधे भेंट कर मंत्री श्रीमती संपतिता उईके और सांसद फगन सिंह कुलस्ते का स्वागत किया।

## दो पक्षों में विवाद का मामला, दूसरे पक्ष के लोग भी घायल चाकू से हमला कर युवक को तालाब में फेंका

दमोह, देशबन्धु। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुकेश नायक कॉलोनी में शनिवार रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में एक युवक पर चाकू और तलवार से हमला कर उसे तालाब में फेंक दिया गया। परिजन उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहीं, दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा, जिस पर भी परिजनों ने चाकू से हमले का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले पक्ष से अतुल रैकवार नामक युवक घायल हुआ, जिस पर परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल



के भाई हेमंत रैकवार ने बताया कि नवरात्रि के समय अतुल का मुकेश नायक कॉलोनी के साहू समाज के युवकों से विवाद हुआ था। शनिवार रात, जब उसका भाई तालाब के पास खड़ा था, तभी कम्प साहू, दामू साहू, भूपेंद्र, राहुल पटेल समेत लगभग 10 युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब परिवार के लोग उसे बचाने

पहुंचे, तो आरोपियों ने कमला रैकवार और चंदा रैकवार पर भी हमला कर दिया और अतुल को तालाब में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। किसी तरह से अतुल को तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरे पक्ष के पारस रैकवार ने बताया कि उसके दोस्त राहुल पटेल पर अतुल रैकवार और

हेमंत रैकवार ने चाकू और तलवार से हमला किया और उसे भी तालाब में फेंक दिया। दोनों पक्षों के करीब पांच लोग घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई आनंद सिंह अस्पताल पहुंचे और दोनों पक्षों से जानकारी ली। टीआई आनंद सिंह ने बताया कि एक पक्ष से अतुल रैकवार और दूसरे पक्ष से राहुल पटेल घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं। तालाब में फेंकने की बात सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्ष तालाब के किनारे खड़े थे। डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी।

### सार-समाचार



### अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से चोरी का माल बरामद

रामनगर पुलिस ने सात आरोपियों को किया गिरफ्तार

अनूपपुर, देशबन्धु। रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5/6 खदान राजनगर आरओ कॉलोनी में हालेज घर में लगी केबिल वायर लगभग 15 मीटर तथा हॉलेज घर के बाहर पड़े 10 नग छोटे तथा 3 नग बड़े रोलर कुल कीमती 41 हजार रूपए के चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी रामाधीन उर्फ अधीन चौधरी पिता नंदलाल चौधरी उम्र 33 वर्ष, शिवपूजन चौधरी पिता केमता चौधरी उम्र 28 वर्ष, शिव प्रसाद चौधरी उर्फ दादू पिता लालमन चौधरी उम्र 30 वर्ष, सुमन लाल चौधरी पिता केमला चौधरी उम्र 26 वर्ष, लक्ष्मण चौधरी पिता फगुना चौधरी उम्र 45 वर्ष, संजय चौधरी पिता सुखसेन चौधरी उम्र 28 वर्ष सभी निवासी झिरिया टोला, मो. सिराजुद्दीन पिता मो. जलील उम्र 56 वर्ष निवासी वार्ड क्र 04 मौहारापारा मनेन्द्रगढ़ को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल जब्त किया गया है।

मामले की जानकारी के अनुसार 2 नवम्बर को फरियादी श्यामजी पिता अलियार उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड 5 बाबूलालन राजनगर थाना रामनगर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लेख कराया कि 1 नवम्बर की रात्रि में 5/6 खदान राजनगर आरओ कॉलोनी में हालेज घर में लगी केबिल वायर तथा हालेज घर के बाहर पड़े 10 नग छोटे तथा 3 नग बड़े रोलर कुल कीमती 41000 रुपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पर मामला कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया प्रकरण में तत्पत्ता पूर्वक कार्यवाही करते हुए 14 घंटे के अन्दर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के आरोपीगणों को गिरफ्तार कर चोरी गए माल करीबन 15 मीटर केबिल वायर, 10 नग छोटे रोलर एवं 3 नग बड़े रोलर को जब्त किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक एसएल मरावी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक बाबूलाल परस्ते, प्रधान आरक्षक सनत द्विवेदी, निरंजन खलखो, अमित पटेल, योगेन्द्र मिश्रा, हरीश डेहरिया, बसंतलाल, मनोज उपाध्याय, अंशु कुमार, विजय मेरावी, नरेन्द्र सिंह, मदनलाल पाटिल, राहुल प्रजापति, विनोद मरावी एवं साइबर सेल अनूपपुर प्रभारी राजेन्द्र अहिरवार, पंकज मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा।

### ग्राम पंचायत कुंवरपुर में शोकपिट निर्माण में सरपंच, सचिव पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप

पन्ना, देशबन्धु। पर्वई जनपद पंचायत अंतर्गत सबसे बड़ी पंचायत कुंवरपुर में सरपंच, सचिव, उपयंत्री द्वारा मिलकर ग्राम पंचायत के निर्माण तथा विकास कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगो द्वारा शिकायते करने के बावजूद भी संबंधितों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

मनरेगा, योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में सरेआम मशीनों का उपयोग किया जा जाता है तथा फर्जी बिल बाउचर एवं फर्जी मजदूरों के नाम राशि आहरित कर ली जाती है। अभी हाल ही में तालाब निर्माण में सरेआम मशीन चलाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पन्द्रहवें वित्त तथा पंच परमेश्वर योजना से मिलने वाली राशि में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। शोक पिट निर्माण के नाम पर लाखों रुपये की राशि का फर्जीवाड़ा किया गया है। जबकी उक्त शोक पिट केवल औपचारिकता के लिए ही बनाये गये हैं तथा मनमाने ढंग से बिल बाउचर लगाकर चार लाख रूपये की राशि आहरित कर ली गई है। इसी प्रकार अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर भी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। स्थानीय लोगो ने बताया कि जब से ग्राम पंचायत में प्रीतम सिंह सचिव पदस्थ हुए हैं तब से उक्त ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच अशिक्षित महिला होने के कारण सचिव द्वारा मनमाने ढंग से कार्य कराये जा रहे हैं।

लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगो ने विगत तीन वर्ष में हुए निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

## 16 वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार

मंडला, देशबन्धु। थाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंडला की टीम को 376, 506 भारतीय दंड विधान व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)5 में 16 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।

वर्ष 2008 में एक मामले में थाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंडला द्वारा आरोपी झाड़ू लाल पिता छोटे लाल यादव निवासी मोहनिया पटपरा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध अंतिम अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध क्रमांक से माननीय न्यायालय के उद्भूत प्रकरण क्रमांक 34/08 की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायधीन, न्यायालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मंडला द्वारा आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2009 में स्थायी वारंटी जारी किया गया था।

जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक डीएस अडम के नेतृत्व में टीम द्वारा आज दिनांक 03/11/2024 को प्रकरण क्रमांक 34/08 धारा 376, 506 आईपीसी 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी स्थायी वारंटी झाड़ू लाल पिता छोटे लाल यादव उम्र 42 साल निवासी मोहनिया पटपरा थाना मंडला हाल ग्राम औघट खपरी थाना महाराजपुर को गिरफ्तार किया गया।

## गोवर्धन पूजन कर गौवंशों को लड्डू प्रारसन कराया



मण्डला, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौवंश रक्षा वर्ष मनाने के साथ ही गौवंश और गौरक्षा से संबंधित घोषणाएं की गई हैं। जिसके तहत वर्ष 2024-25 को गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

कलेक्टर के निर्देशन और उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉ. यू.एस. तिवारी के मार्गदर्शन में गौ रक्षा वर्ष के अंतर्गत शनिवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष तहत वर्ष 2024-25 को गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और नागरिक गौपूजन में शामिल होकर गौवंश पशुओं को लड्डू प्रारसन कराया। कार्यक्रम में रंगोली, पशु उपचार, स्वच्छता, गौ सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौ सेवकों और पशु प्रेमियों को सम्मानित किया गया।

## गौशालाओं में गोवर्धन पूजा कर गौवंशों को लड्डू प्रारसन कराया गया

मंडला, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौवंश रक्षा वर्ष मनाने के साथ ही गौवंश और गौरक्षा से संबंधित घोषणाएं की गई हैं। जिसके तहत वर्ष 2024-25 को गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन और उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉ. यू.एस. तिवारी के मार्गदर्शन में गौ रक्षा वर्ष के अंतर्गत शनिवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के अवसर पर जिले में संचालित गौशाला बिड़ौली विकासखंड निवास, गौशाला दूबा विकासखंड मवई, गौशाला सिवनी माल विकासखंड नारायणगंज, गौशाला चाबी विकासखंड मोहगांव में गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। गोवर्धन पूजन के अवसर पर अहिर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और नागरिक गौपूजन में शामिल होकर गौवंश पशुओं को लड्डू प्रारसन कराया। कार्यक्रम में रंगोली, पशु उपचार, स्वच्छता कर गौ सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौ सेवकों और पशु प्रेमियों को सम्मानित किया गया।

## थाना बीजाडांडी क्षेत्र में चल रहा जोरों का सट्टा

बीजाडांडी, देशबन्धु। थाना बीजाडांडी में अवैध सट्टा पट्टी गांव के लोगों को कमीशन का लालच देकर सट्टा प्रशासन छुपी साथ कर बैठी हैं और सट्टा कारोबारी के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपना रोब दिखाकर सट्टा का कारोबार जोड़-तोड़ से चल रहा है और सट्टा खिलाने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पुलिस का भी डर नहीं है जिसमें सट्टा के मागदर्शन में गौ रक्षा वर्ष के अंतर्गत शनिवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के अवसर पर जिले में संचालित गौशाला बिड़ौली विकासखंड निवास, गौशाला दूबा विकासखंड मवई, गौशाला सिवनी माल विकासखंड नारायणगंज, गौशाला चाबी विकासखंड मोहगांव में गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। गोवर्धन पूजन के अवसर पर अहिर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और नागरिक गौपूजन में शामिल होकर गौवंश पशुओं को लड्डू प्रारसन कराया। कार्यक्रम में रंगोली, पशु उपचार, स्वच्छता कर गौ सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौ सेवकों और पशु प्रेमियों को सम्मानित किया गया।

## खडेश्वरी बाबा उर्फ भोलागिरि की हत्या का खुलासा

अनूपपुर, देशबन्धु। राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत गद्दीदादर स्थित शिवदामा आश्रम में खडेश्वरी बाबा उर्फ भोलागिरि महराज की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बरेन्द्र सिंह को जमशेदपुर झारखंड से गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मामले की जानकारी के अनुसार 9 अगस्त को गद्दीदादर स्थित शिवदामा आश्रम में ही खडेश्वरी बाबा उम्र 55 वर्ष का शव पड़े होने की सूचना मिली, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल निरीक्षण करते हुए पंचनामा तैयार कर शव को पीएम के लिए भेजा गया, जहां पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाने से होना पाया गया। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल सविता सोहाने द्वारा पुलिस अधीक्षक मोती उर्फ रहमान को एसआईटी टीम गठित कर जांच किए जाने के निर्देश दिए गए तथा स्वयं ही मौके पर पहुंच कर 10 किमी पैदल चल घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए राजेन्द्रग्राम व अमरकंटक में दो दिन कैप किया एवं संदेही बाबा बरेन्द्र सिंह के आश्रम जाकर व संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ किया गया था तथा दो-तीन बार आरोपी बरेन्द्र सिंह के आश्रम का निरीक्षण किया गया था।

वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान द्वारा बाबा के हत्यारे की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मसूरी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। जिस पर गठित विशेष टीम द्वारा घटना का बरीकी से हर संभव पहलुओं पर गंभीरता से जांच की गई तथा आसपास के लोगो सहित संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई।

विवेचना में बरेन्द्र सिंह जो खडेश्वरी बाबा का परिचित का था, प्रायः खडेश्वरी बाबा से मिलने शिवदामा आश्रम आया करता था। 7 अगस्त को भी बाबा से मिलने आश्रम आया था। जहां किसी बात को लेकर बाबा और बरेन्द्र सिंह के बीच वाद-विवाद हो गया। जिस पर बरेन्द्र सिंह गुस्से में आकर बाबा का गला दबा दिया, जिससे खडेश्वरी बाबा की मौत हो गई।

## जुआ खेलते पांच जुआरी गिरफ्तार, 3250 रुपए जब्त

अनूपपुर, देशबन्धु। बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भागता लोहसरा ग्राउंड में जुआं खेलते जाने की सूचना पर पुलिस ने 2 नवम्बर को मौके पर पहुंचकर दबिश देते हुए जुआं खेल रहे 5 जुआडियों जिनमें बबलू महरा उम्र 32 वर्ष, मनी लाल साहू उम्र 58 वर्ष, करन केवट उम्र 30 वर्ष, संजय सिंह उम्र 38 वर्ष, अमित तिवारी उम्र 29 वर्ष सभी निवासी ग्राम भागता को पकड़ते हुए उनके कब्जे से 3250 रूपये नगद एवं ताश के पत्ते जप्त किया जाकर सभी जुआडियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।